जीवाजी विश्वविद्यालय,ग्वालियर

क्रमांकःजीवि/परीक्षा–2/गोपनीय/2013/862 दिनांक : 21.03.2013

// संशोधित–अधिसूचना //

सूचित किया जाता है कि प्रवेश समिति की अनुशंसानुसार एवं माननीय कुलपति जी के निर्देशानुसार पीएच–डी उपाधि हेतु ऐसे अभ्यार्थी जिन्होने नये अध्यादेश के प्रभावी होने के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये गये विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन किया था एवं पीएच–डी की प्रवेश परीक्षा में जो छात्र उत्तीर्ण हुये है तथा जिन्हे काउन्सलिंग के जरिये शोधमार्गदर्शक उपलब्ध कराये है उन्ही छात्रों को शोध उपाधि समिति/आर0डी0सी0 में सम्मिलित होने की पात्रता है। इसके अतिरिक्त नये अध्यादेश के प्रभावी होने के पूर्व/पहले जिन छात्रों ने अपने आवेदन प्रस्तुत किये थे, लेकिन फिर भी किन्ही कारणों से कोई छात्र यदि वंचित रह गया है, तो उनको शोध उपाधि समिति/आर0डी0सी0 में विशेष अवसर प्रदान करते हुये सम्मिलित किया जावेगा। लेकिन ऐसे छात्र पुराने अध्यादेश के तहत ही पंजीयत किये जावेगें।

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

1. समस्त शोध मार्गदर्शक, जीवाजी विश्वविद्यालय,ग्वालियर ।
2. समस्त प्राचार्य, शोध केन्द्र, जीवाजी विश्वविद्यालय,ग्वालियर ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, जीवाजी विश्वविद्यालय,ग्वालियर ।
4. समस्त अधिकारी, जीवाजी विश्वविद्यालय,ग्वालियर ।
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक,जीवाजी विश्वविद्यालय,ग्वालियर ।
6. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय,ग्वालियर ।

उप–कुलसचिव(अकादमी)